लेखाशास्त्र

कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक

NBCampus

12129

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

2019-20

प्रथम संस्करण
जून 2007 ज्येष्ठ 1929
पुनर्मुद्रण
नवंबर 2007 कार्तिक 1929
दिसंबर 2008 पौष 1930
सितंबर 2010 भाद्रपद 1932
जनवरी 2011 माघ 1932
संशोधित संस्करण
मार्च 2017 फ़ाल्गुन 1938
मार्च 2019 फ़ाल्गुन 1940

PD 5T RSP

© *राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2007*

₹ ??.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा श्री राम प्रिंटर्स, डी-6 एवं एफ़-455, सैक्टर-63, नोएडा - 201301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित। द्वारा मुद्रित।

ISBN 978-93-5007-795-5

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: भनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021 फ़ोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *एम. सिराज अनवर*
मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक : *अबिनाश कुल्लू*
संपादक : *रेखा अग्रवाल*
उत्पादन सहायक : *सुनील कुमार*

आवरण
श्वेता राव

NBCampus

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफ़लता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक केलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षा और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर आर. के. ग्रोवर की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया, इस योगदान को

NCERT not to be republished

संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 नवंबर 2006

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NBCampus

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, *प्रोफ़ेसर,* इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

मुख्य सलाहकार

आर. के. ग्रोवर, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), स्कूल आफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़, इग्नू, नयी दिल्ली।

सदस्य

एच.वी. झांब, *रीडर,* खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
एन. के. ककड़, *निदेशक,* महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट आफ़ मेनेजमेंट, रोहणी, नयी दिल्ली
एस.एस. सहरावत, *सहायक आयुक्त,* केंद्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़
एस.सी.हुसैन, *प्रोफ़ेसर,* वाणिज्य विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नयी दिल्ली
ओबल रेड्डी, *प्रोफ़ेसर,* वाणिज्य विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
डी. के. वेद, *प्रोफ़ेसर,* सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली
दीपक सहगल, *रीडर,* दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
दिनकर देव हांडा, *पीजीटी वाणिज्य,* रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली
राजेश बंसल, *पीजीटी वाणिज्य,* रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली
वनिता त्रिपाठी, *लेक्चरर,* वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल आफ़ इकॉनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
सविता शंगारी, *पीजीटी वाणिज्य,* ज्ञान भारती स्कूल, साकेत, नयी दिल्ली
सुधीर सपरा, *पीजीटी वाणिज्य,* केंद्रीय विद्यालय, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश

हिंदी अनुवाद

अमर सिंह सचान, *अनुवादक,* आर. के. पुरम, नयी दिल्ली
राजेश बंसल, *पीजीटी वाणिज्य,* रोहतगी ए.वी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नयी सड़क, दिल्ली

सदस्य-समन्वयक

शिप्रा वैद्या, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर* (वाणिज्य), सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली

NBCampus

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, इस पुस्तक के निर्माण एवं पुनरीक्षण में सहयोग देने हेतु पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति का आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, सविता सिन्हा, *प्रोफ़ेसर* एवं *विभागाध्यक्ष*, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हम उन सभी वाणिज्य शिक्षकों के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक की क्यू.आर. कोड की अतिरिक्त पाठ्य सामग्री तैयार करने में अपना योगदान दिया है।

परिषद्, श्री महेन्द्र कुमार डी.टी.पी. के सहयोग हेतु अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी संदर्भ में प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का सहयोग भी उल्लेखनीय एवं सराहनीय है।

वर्ष 2011 में लागू की गयी कंपनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI (वर्त्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III) के अनुसार भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के प्रारूप और प्रदर्शन में बदलाव किया गया है जिसमें तुलन-पत्र और लाभ व हानि विवरण के विशेष संदर्भ में दर्शायी जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के सुनिश्चित वर्गीकरण एवं नामावली में परिवर्तन प्रमुख हैं।

इस संदर्भ में अपनाए गए नवीन लेखांकन व्यवहारों से प्रभावित निगम वित्तीय प्रतिवेदनों के वर्गीकृत प्रकटन के परिणामस्वरूप इस पाठ्यपुस्तक के संशोधन हेतु सभी वित्तीय विवरणों को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया है।

एन.सी.ई.आर.टी. भावी संशोधनों हेतु इस प्रकाशन में सुधार लाने के लिए टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी।

NBCampus

विषय-सूची

आमुख	*iii*
अध्याय 1 अंशपूँजी के लिए लेखांकन	**1**
1.1 कंपनी की विशेषताएँ	1
1.2 कंपनी के प्रकार	2
1.3 कंपनी की अंशपूँजी	3
1.4 अंशों की श्रेणियाँ एवं प्रकृति	6
1.5 अंशों का निर्गमन	7
1.6 लेखांकन व्यवहार	8
1.7 अंशों का हरण	37
अध्याय 2 ऋणपत्रों का निर्गम एवं मोचन	**76**
उपखंड–I	
2.1 ऋणपत्र का आशय	76
2.2 अंश और ऋणपत्र के बीच अंतर	77
2.3 ऋणपत्रों के प्रकार	77
2.4 ऋणपत्रों का निर्गम	80
2.5 अधि-अभिदान	87
2.6 रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफ़ल पर ऋणपत्रों का निर्गमन	89
2.7 ऋणपत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन	96
2.8 ऋणपत्रों को निर्गमित करने की शर्तें	100
2.9 ऋणपत्रों पर ब्याज	109
2.10 बट्टे का अपलेखन/ऋणपत्रों के निर्गम पर हानि	112
उपखंड–II	
2.11 ऋणपत्रों का मोचन	116
2.12 एकमुश्त भुगतान द्वारा मोचन	117
2.13 खुले बाज़ार में क्रय द्वारा मोचन	125
2.14 परिवर्तन द्वारा मोचन	129
अध्याय 3 कंपनी के वित्तीय विवरण	**147**
3.1 वित्तीय विवरणों का अर्थ	147
3.2 वित्तीय विवरणों की प्रकृति	148
3.3 वित्तीय विवरणों के उद्देश्य	149

NBCampus

3.4 वित्तीय विवरणों के प्रकार 150
3.5 वित्तीय विवरणों की उपयोगिता एवं महत्त्व 170
3.6 वित्तीय विवरणों की सीमाएँ 171

अध्याय 4 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण 176
4.1 वित्तीय विवरण–विश्लेषण का तात्पर्य 176
4.2 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व 177
4.3 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य 178
4.4 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें 179
4.5 तुलनात्मक विवरण 181
4.6 समरूप विवरण 187
4.7 वित्तीय विश्लेषणों की सीमाएँ 193

अध्याय 5 लेखांकन अनुपात 199
5.1 लेखांकन अनुपात का अर्थ 199
5.2 अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य 200
5.3 अनुपात विश्लेषण के लाभ 201
5.4 अनुपात विश्लेषण की सीमाएँ 202
5.5 अनुपातों के प्रकार 203
5.6 द्रवता अनुपात 205
5.7 ऋण शोधन क्षमता अनुपात 210
5.8 क्रियाशीलता (या आवर्त) अनुपात 219
5.9 लाभ प्रदता अनुपात 228

अध्याय 6 रोकड़ प्रवाह विवरण 248
6.1 रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य 249
6.2 रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ 249
6.3 रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यराशियाँ 250
6.4 रोकड़ प्रवाह 250
6.5 रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार करने हेतु क्रियाकलापों का वर्गीकरण 251
6.6 प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना 256
6.7 निवेश एवं वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना 269
6.8 रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण 272

NBCampus

12129CH01

अंशपूँजी के लिए लेखांकन

1

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत आप–

- *व्यवसाय संगठन के स्वरूप के रूप में संयुक्त पूँजी कंपनी की मूल प्रकृति तथा कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनियों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे।*
- *कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के प्रकारों का वर्णन कर सकेंगे।*
- *सममूल्य पर अंशों के निर्गमन का लेखांकन व्यवहार, अधिमूल्य तथा बट्टे पर निर्गमन, अधि-अभिदान सहित लेखांकन व्यवहार कर सकेंगे।*
- *विभिन्न परिस्थितियों में अंशों के हरण और हरण किए गए अंशों के पुन: निर्गमन की रूपरेखा का अध्ययन कर सकेंगे।*
- *हरण किए गए अंशों के पुन: निर्गमन पर राशि को पूँजी आरक्षित खाते में हस्तांतरण की जाने वाली राशि में परिकलित कर सकेंगे और अंश हरण खाता तैयार कर सकेंगे।*

एक संगठन का कंपनी प्रारूप संगठन प्रारूप के विकास का तीसरा चरण है। इसकी पूँजी व्यक्तियों की एक विशाल संख्या द्वारा विनियोजित की जाती है, जो कि इसके अंशधारी कहलाते हैं और वो कंपनी के वास्तविक स्वामी भी होते हैं। लेकिन न तो यह संभव है कि वे सभी कंपनी के प्रबंध में भाग लें और न ही यह वांछनीय है। इसलिए वे कंपनी के मामलों को निपटाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। तथ्य यह है कि कंपनी के सभी मामले कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं। एक कंपनी से आशय है 'वह कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या किसी अन्य पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित या पंजीकृत है'। केवल कानून द्वारा रचित होने के कारण, यह केवल उन परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में रख सकती है जिनके लिए उसकी रचना करने वाला *चार्टर* उसे अधिकार प्रदान करता है, चाहे वह स्पष्टत: हो अथवा उसके बिलकुल प्रारंभ से प्रासंगिक हो। कंपनी प्राय– अपनी पूँजी अंशों के रूप में (जो अंशपूँजी कहलाती है) और ऋणपत्रों (ऋण पूँजी) के रूप में एकत्रित करती है। यह अध्याय कंपनी की अंशपूँजी के लिए लेखांकन व्यवहार की स्पष्ट व्याख्या करता है।

1.1 कंपनी की विशेषताएँ

एक कंपनी को व्यक्तियों के एक संघ के रूप में देखा जा सकता है जो कि राशि को एकत्रित करते हैं या फिर राशि को एक सामान्य स्कंध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका इसके सदस्यों (अंशधारकों)से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है और यह अपने हस्ताक्षर के लिए एक विशिष्ट

NBCampus

सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है। इसलिए यह कुछ विशेषताएँ रखती है जो कि इसे अन्य संस्थानों से पृथक करती हैं। ये निम्नलिखित हैं-

- *निगमित संस्था*– समय-समय पर लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। समान्यत: भारत में कंपनियों का निर्माण तथा पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है, बैंकिग तथा बीमा कंपनियों को छोड़कर, जिनके लिए पृथक कानून है।
- *पृथक वैधानिक अस्तित्व*– एक कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व होता है जो कि इसके सदस्यों से भिन्न होता है। कंपनी किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का क्रय कर सकती है। यह अनुबंध कर सकती है और अपने नाम से बैंक खाता भी खोल सकती है।
- *सीमित दायित्व*– इसके सदस्यों का दायित्व केवल उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि तक ही सीमित होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की स्थिति में, कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही सीमित रहता है।
- *स्थायी उत्तराधिकार*– कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसके सदस्यों के परिवर्तित होने पर भी अस्तित्व में रहती है। एक कंपनी को केवल कानून द्वारा विघटित किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन होने की स्थिति में भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सदस्य आते-जाते रहते हैं। इसके बावजूद भी कंपनी निरंतर क्रियाशील रहती है।
- *सार्वमुद्रा*– कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती। इसलिए प्रत्येक कंपनी को एक सार्वमुद्रा का प्रयोग आवश्यक है जो कि अधिकारित रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। कोई दस्तावेज़ यदि इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा नहीं है तो कोई कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं होगी।
- *अंशों का हस्तांतरण*– एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अंश मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। अंशों के हस्तांतरण के लिए कंपनी की अनुमति या किसी सदस्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कंपनी के अंतर्नियमों में अंशों को हस्तांतरित करने के तरीके का उल्लेख होता है।
- *अभियोग चलाना तथा अभियोजित होना*– कानूनी व्यक्ति होने के कारण एक कंपनी संविदा कर सकती है तथा संविदागत् अधिकारों के प्रवर्तन हेतु दूसरों को बाध्य कर सकती है। यह अभियोग चला सकती है तथा यदि कंपनी संविदा का उल्लंघन करे उसके नाम से उस पर अभियोग चलाया जा सकता है।

1.2 कंपनी के प्रकार

कंपनियों का वर्गीकरण या तो उनके सदस्यों के दायित्व के आधार पर या इसके सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। कंपनी के सदस्यों के दायित्व के आधार पर एक कंपनी को नीचे दी गई तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(i) *अंशों द्वारा सीमित कंपनी*– ऐसी कंपनी में इसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के वास्तविक मूल्य तक सीमित होता है। यदि एक सदस्य द्वारा अंशों की पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है तो सदस्य के हिस्से कोई दायित्व नहीं होगा। चाहे कंपनी का ऋण कुछ भी हो। उस सदस्य को अपनी निजी परिसंपत्ति से एक पैसे का भी भुगतान नहीं करना होगा। हालाँकि,